

एनएचएसआरसीएल

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 (1)(डी) का विवरण

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(डी) --

प्रभावित व्यक्तियों के लिए अपने प्रशासन अथवा न्यायिक कल्प निर्णयों के कारण-
कुछ नहीं